न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 52/2019 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2019/00127

1. हरदयाल सिंह पुत्र स्व. ठाकर सिंह जाति बावरी निवासी चक 26 पी.टी.पी. ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. हरचरण सिंह पुत्र बसन्त सिंह जाति जट सिख निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत —अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिराम बिश्नोई —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 08.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि वाके चक 26 पी.टी.पी. तहसील सादुलशहर में मुरब्बा नंबर 58 के किला नंबर 1, 10, 11 तथा मुरब्बा नंबर 59 में किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 24 व 25 अपीलांट के पिता स्व. ठाकर सिंह को कस्टोडियन के रूप में आवंटित हुई। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रा. पत्र रिकार्ड दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने आदेश दिनांक 13.09.2019 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हैं।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट के पिता ठाकर सिंह को कस्टोडियन के रूप में प्राप्त हुई। अपीलांट के पिता ठाकर सिंह की मृत्यु दिनांक 09.06.2008 को हो चुकी है, तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि को अपीलांट ही काश्त कर रहा हैं। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आर.एक्ट बाबत रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय से मुरब्बा नं. 59 के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 में जमाबंदी दुरूस्त करके प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता दर्शाये जाने के आदेश की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहसीलदार का जवाब मांगे, बिना पटवारी से मौका रिपोर्ट मांगे और बिना अपीलांट को सुने एक आदेश दिनांक 13.09.2019 को पारित कर अपीलांट की कब्जा काश्तशुदा भूमि में से रास्ता देकर रिकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा में एक अपील पेश की, जिसमे अदालत हांजा ने दिनांक 04.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनों को सुनकर एवं साक्ष्य आदि लेकर विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार से नक्शा एवं रास्ता मौका मय प्रा. पत्र के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की जावे। इसके अलावा पुरानी जमाबन्दी में रास्ता बताया गया है तथा वर्तमान जमाबन्दी में किना नं. 5, 6, 15, 16, 25 को सालम दर्ज होने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उसका विवेचन करते हुए पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने का आदेश दिया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्णय में दिये गये आदेश की पालना नहीं करते हुए निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश में रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि अपीलांट की भूमि में से होकर कोई रास्ता वर्तमान में या पूर्व में गुजरता हो। न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट म नक्शा मंगवाने तथा बिन्दु वार स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट पेश होने से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के पिता ठाकर राम के नाम से सम्वत् 2029 से 2039 तक यानि 1 जुलाई, 1972 से 10 जून, 1982 तक के पर्चा लगान में भी मु.नं. 59 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 सालम दर्ज है, उस समय इस भूमि में से कांई मार्ग नहीं था। पत्रावली में निर्णय हेतु दिनांक 18.09.2019 तय थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उससे पूर्व ही दिनांक 13.09.2019 को निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दौराने बहस कथन किया कि चक 26 पी.टी.पी. तहसील सादुलशहर के मु.नं. 62 व 63 में क्रमशः किला नंबर 1 में 18 बिस्वा, 10 में 1 बीघा, 11 में 1 बीघा कुल 2 बीघा 18 बिस्वा व किला नंबर 3

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में 1 बीघा, 4 में 1 बीघा, 5 में 18 बिस्वा, 6 में 18 बिस्वा, 7 में 1 बीघा, 8 में 1 बीघा, 14 में 1 बीघा, 15 में 18 बिस्वा, 16 में 18 बिस्वा, 17 में 1 बीघा, 24 में 1 बीघा, 25 में 1 बीघा कुल 11.10 बीघा दोनों गुरब्बों में कुल 14 बीघा 8 बिस्वा प्रथम जमाबन्दी बतौर कस्टोडियन आवंटन ठाकर सिंह के नाम दर्ज हुई, जिसमे से 10 बिस्वा रास्ता व 2 बिस्वा खाला में दर्ज हुई। इसीप्रकार परचा खतौनी जो राजस्थान कॉलोनाइजेशन विभाग द्वारा बनाई गई, उसमें भी 10 बिस्वा रास्ता किला नंबर 5, 6, 15, 16 व 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा बतौर रास्ता दर्ज किया गया। बाद सम्वत् 2029 से 2032 की जमाबन्दी में जब सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सर्वे हुआ तो उसमें रास्ते के अंकन को हटाकर सम्पूर्ण भूमि अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गई। तब रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकार्ड दुरूस्ती व पुराना रास्ता पुनः दर्ज करने का प्रा. पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उक्त भूमि वर्तमान में सेटलमेंट होने पर नये मुरब्बा नंबर 58 व 59 बने है। सेटलमेंट विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश केक राजस्व रेकार्ड में कोई तब्दीली का अधिकार नहीं था। फिर भी उक्त 12 बिस्वा भूमि पुनः ठाकर राम के खाते में विधि विरूद्ध दर्ज कर दी। न्यायालय हाजा के निर्देशानुसार पुनः रिपोर्ट जो तहसीलदार सादुलशहर से प्राप्त की उसमें स्पश्ट रूप से अंकित किया है कि पत्थर नंबर 128/114 के मु.नं. 59 के किला नंबर 5, 6, 15, 16 व 25 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रास्ता चालू होने बाबत प्रस्तुत की है। इसीपकार अपीलांट के पिता के नमा जो पानी की बारी की पर्ची सिंचाई विभाग द्वारा जारी की गई है, जो सन् 1993 की प्रस्तुत पत्रावली है, उसमें 14.10 बीघा कमाण्ड भूमि का ही पानी लिख रखा हैं। अपीलांट व उसके पिता के पास 14.10 बीघा भूमि है व 10 बिस्वा रास्ता में अंकित है। उक्त रास्ता पिछले 60 वर्षों से बदस्तूर चला आ रहा है। रास्ते की गैरमुमकिन भूमि किसी भी सूरत में अपीलांट के नाम दर्ज नही की जा सकती। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख व अभिभाषकगण द्वारा वरवक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 पारित करते हुए रेस्पो. सं. 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया तथा तहसीलदार सादुलशहर को चक 26 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 128/114 मु.नं. 59 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक्टेयर नहरी आराजी को दुरूस्त किया जाकर मु.नं. 59 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला में 0.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

228 हैक्ट. नरही, 0.025 हैक्ट. गै.मु. रास्ता का अंकन करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर पारित हैं, जिसके अनुसार रेस्पो. सं. 1 द्वारा चाहे गये रास्ता मु.नं. 59 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर रास्ता चल रहा है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित होने के कारण उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2019 यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर